



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263088
CG-DL-E-14052025-263088

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2037]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2037]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2082(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1013(E) तारीख 27/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के जम्मू जिले में NH-144A के कि.मी. 30.053 से कि.मी. 49.150 तक (अखनूर से पूँछ मार्ग) सेक्षण-1 के लिए भूखण्ड के निर्माण (2 लेन का बनाने /चौड़ा करने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26 मार्च 2025" को "डेली एक्सेलसियर" और अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी;

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के जम्मू जिले में NH-144A के कि.मी. 30.053 से कि.मी. 49.150 तक (अखनूर से पूँछ मार्ग) सेक्शन-1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना राहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अखनूर					
गांव का नाम: सुंगल					
1	573 मिन	सरकारी (राज्य भूमि)	असिंचित	0.4653884	राज्य भूमि 573 Min
2	580 मिन	अन्य (संरक्षक)	असिंचित	0.123935	संरक्षक विभाग 580 Min
3	583 मिन	निजी (निजी (शामलात))	असिंचित	0.0278221	शामलात देह 583 Min
4	588 मिन	निजी (निजी (शामलात))	असिंचित	0.0025293	धर्मार्थ ट्रस्ट 588 Min
5	589 मिन	निजी (निजी)	असिंचित	0.0607028	शरीफ हसन का बेटा 589 Min
Total				0.6803776	

[फा. सं. 1/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025

S.O. 2082(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 1013(E) Dated:27/02/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (Widening/2 Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-144A in the stretch of land from Km 30.053 to Km 49.150 (Akhnoor to Poonch Road) Section-1 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR (UT).

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Excelsior" and "Amar Ujala" both dated 26 Mar 2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEME

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 144A in the stretch of land from Km. 30.053 to Km. 49.150 (Akhnoor to Poonch Road) Section-I in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR (UT).

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akhnoor					
Village: Sungal					
1	573 Min	Government (State Land)	Non irrigated	0.4653884	STATE LAND 573 Min
2	580 Min	Common (Custodian)	Non irrigated	0.123935	Custodian Department 580 Min
3	583 Min	Private (Private (Shamlat))	Non irrigated	0.0278221	Shamlat Deh 583 Min
4	588 Min	Private (Private (Shamlat))	Non irrigated	0.0025293	Dharamarth Trust 588 Min
5	589 Min	Private	Non irrigated	0.0607028	Sharif Son of Hasan 589 Min
Total				0.6803776	

[F. No. 1/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director